संख्या– 585 /XVIII(1)/2009–1/2006

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

राजस्व अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांकः 16 जुलाई, 2009

विषयः–जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–15/नवम्–मु0ना0/2009 दिनांक 13.03.2009 शासनादेश संख्या–284/18(1)/2006 दिनांक 01.09.2006 एवं शासनादेश संख्या–288/18(1)/2007 दिनांक 14.03.2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2009–10 में जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु संलग्नकानुसार रू0 50,000,00.00 (रू0 पचास लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:–

1. प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जायेगा।
2. उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्य प्रारम्भ से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्श के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा। स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की सभी शर्तें यथावत् रहेंगी।
3. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल शासन तथा महालेखाकार, उत्तरांचल को उपलब्ध कराई जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि के आहरण से सम्बन्धित हस्तपुस्तिका में उल्लिखित प्रावधानों में बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
5. धनराशि उन्ही मदों पर व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृत की जा रही है।
6. स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
7. निर्माण सामग्री को उपयोग मं लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा ली जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही उपयोग में लाया जाय।
8. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण व्यय 31.03.2010 से पूर्व सुनिश्चित कर इसका वित्तीय भौतिक प्रगति का विरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत करें।

....2

G.O.doc

9. स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले निर्माण कार्य की गुणवत्ता का मूल्यांकन तृतीय पक्ष से कराया जायेगा।

2– उक्त व्यय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–06 लेखाशीर्षक 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूजीगत परिव्यय–60–अन्यभवन–आयोजनागत–00–051–निर्माण–03– तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्यो के नामे डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या– 38p /वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5/2009 दिनांक 29 जून, 2009 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)
अपर सचिव।

संख्या–585 (1)/XVIII(1)/2009 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड माजरा देहरादून।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर।
6. बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0–5/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0।
8. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

G.O.doc

शासनादेश संख्या– 585 /XVIII(1)2009-1/2006 दिनांक 6 जुलाई, 2009 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	कार्य की लागत	अब तक अवमुक्त की गयी धनराशि (2006–07)	वर्ष 2009–10 में स्वीकृत की जा रही धनराशि
1.	जनपद बागेश्वर के तहसील काण्डा के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण	उत्तरांचल पेय जल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम बागेश्वर	138.75	75.00	50.00
	योग		138.75	75.00	50.00

(रू0 पचास लाख मात्र)

(सन्तोष बडोनी)
अनुसचिव।

G O doc